(5)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2042/पांच/2000 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29.9.2000 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 164 अ6/1995-96 अपील (यह आदेश निगरानी प्र.क. 208-एक/2002 पर भी लागू होगा)

1- सूरीवाई पुत्री स्व. फुलिया लोधी पत्नि दाउ
2- सुन्दीवाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि हीरालाल
दोनों ग्राम गढरा तहसील नागौद जिल सतना
3- मुस.जसोदावाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि
हरीप्रसाद ग्राम सिजहटी तहसील नागौद
जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- लल्लू 2- गिरजादीन पुत्रगण फुलिया लोधी
3- पन्नीवाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि रंगीलाल
ग्राम तिलहड़ी तहसील गुन्नौर जिला पन्ना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण 1.2. के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक 3 के अभिभाषक श्री कुंअर सिंह कुशवाह)

आ दे श

(आज दिनांक 1-12-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 164 अ6/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है तहसीलदार गुनौर के प्रकरण कमांक 51/अ-6/93-94 में पारित आदेश दिनांक 5-10-1994 के एंव ग्राम तिलहड़ी की नामान्तरण पंजी के

सरल क्रमांक 9 पर राजस्व निरीक्षक गुनौर व्दारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 24-12-96 के विरूद्व आवेदिकाओं ने अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के समक्ष अपील क्रमांक 5/अ-6/94-95 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम तिलहड़ी स्थित कुल किता 26 कुल रकबा 10.050 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि महिला प्यारी वाई के नाम थी, जिस पर वह मॉ के साथ खेती करते आ रही हैं । इसी भूमि से संबंधित तहसीलदार गुनौर के समक्ष फुलिया ने आवेदन देकर रिकार्ड सुधार का निवेदन किया जो प्रकरण कमांक अ-6/88-89 से निरस्त हुआ। इसी बीच फुलिया ने राजस्व निरीक्षक गुनौर से मिलकर उन्हें सूचना दिये बिना नामान्तरण पंजी क्रमांक 9 वर्ष 88-89 में आदेश दिनांक 24-12-90 से आवेदकगण का नाम निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को अपनी रखैल पत्नि के पुत्र अनावेदक क्रमांक 1 एंव 2 के नाम करा दिया, जिसकी कोई सूचना आवेदिकाओं को नहीं दी गई। तहसीलदार न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख में सुधार वावत् आवेदन दिया गया था जो आदेश दिनांक 5-10-94 को खारिज कर दिया गया , जिसके कारण राजस्व निरीक्षक गुनौर द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 9 वर्ष 88-89 में दिये गये आदेश दिनांक 24-12-90 तथा आदेश दिनांक 5-10-94 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत है। अनुविभागीय अधिकारी पन्ना ने अपील क्रमांक 5/अ-6/94-95 दर्ज की एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.3.96 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित आदेश दिनांक 24.12.1990 एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-10-94 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार गूनौर को निर्देश दिये कि वादग्रस्त खाते की भूमि को आवेदिकाओं के

नाम दर्ज किया जावे। इस आदेश के विरूद्व अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील क्रमांक 164/अ-6/1995-96 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29.9.2000 से अपील ऑशिकरूप से स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.6.96 में ऑशिक सुधार करते हुये राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित आदेश दिनांक 24.12.1990 एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-10-94 निरस्त किये गये तथा निर्णीत किया कि :-

- अतः मैं पाता हूँ कि उपरोक्त भूमि प्रतिअपीलार्थी क्र. 1,2 एंव 3 की मॉ प्यारीवाई के नाम से खाता था तथा उसके पति फुलिया लोधी के नाम से भी खाता था। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न खसरा नं. जो अपील मेमो में दर्शाए गए हैं, के अनुसार उक्त ख.नं. सभी फुलिया लोधी एंव मुस. प्यारीवाई की भूमि है। अतः उक्त भूमि का कुल रकबा 11.497 है. होता है तथा कुल खसरा नंबर 29 होते हैं। इन खसरा नंबरों का परीक्षण किया जावे कि वे विक्रय तो नहीं किये गये हैं। यदि नियमानुसार विक्रय कर दिये गये हैं तथा नामान्तरण हो चुका हो तो शेष भूमि पर कंडिका 9 में दर्शाये गये कानूनी वारिसानों के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जायें।*

अपर आयुक्त,सागर संभाग सागर व्दारा पारित इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दर्शाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित

है कि राजस्व निरीक्षक गुनौर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 9 पर आदेश दिनांक 24.12.90 पारित किया है जिसके अनुसार सुरी, सुन्दरी, यसोदा का नाम खाते से प्रथक कर दिया एंव फुलिया पुत्र मटरू लोधी का नाम यथावत् कर दिया गया। कारण यह अंकित किया है कि तीनों बहिनों की शादी हो चुकी है एंव वह समस्त भूमि अपने पिता फुलिया के नाम करा रहीं है सहमति वावत् तीनों बहिनों की निशानी अगुष्ठ लगा है। इस संबंध में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 29.9.2000 में निष्कर्ष दिया है कि सहमति के आधार पर पारित आदेश अपील योग्य नहीं है जो उचित प्रतीत होता है।

5/ प्रकरण की तह में जाने पर ज्ञात होता है कि मृतक फुलिया लोधी के तीन पत्नियॉ रहीं है

1. प्रथम विवाहिता पत्नि प्यारी उर्फ हलकीवाई–जिसके तीन पुत्रियां क्रमशः 1– प्यारीवाई 2– सुंदीवाई 3– यशोदावाई हैं।
2. दूसरी पत्नि सुकरतीवाई है जिससे दो पुत्र 1– लल्लू 2– गिरजादीन एंव दो पुत्री 3– चिंता 4– बल्ली इस प्रकार चार संतानें है।
3. तीसरी पत्नि सुकबरिया वाई है जिससे एकमात्र पुत्री पन्नीवाई है।

उक्त से स्पष्ट है कि मृतक फुलिया लोधी के तीन पत्नियों से 6 पुत्रियां एंव 2 पुत्र पैदा हुये हैं। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या प्रथम पत्नि के जीवित रहते हुये एंव उसकी संतान के जीवित रहते हुये द्वित्तीय एंव तृतीय विवाह अथवा रखैल पत्नियों से उत्पन्न संतान को पिता की संपत्ति में विरासत प्राप्त है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में द्वित्तीय पत्नि एंव तृतीय पत्नि को उत्तराधिकारिता प्राप्त नहीं है किन्तु उनसे उत्पन्न संतान को वही हक प्राप्त हैं जो प्रथम पत्नि को संतान को है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 29.9.2000 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 164 अ6/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.9.2000 विधिवत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

TWO RUPEES

ef- R1131-2

समक्ष- माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर, केम्प सागर (म0प्र0)
= =

1. सूरी बाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि दाऊ लोधी,
2. सुन्दीबाई पुत्री फुलिया लोधी, पत्नि हीरालाल
साकिन ग्राम गदरा तह0 नागोद जिला सतना
3. मुस0 जसोदाबाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि हरीप्रसाद
निवासी ग्राम सिजहटी, तह0 नागौद, जिला- सतना,
... आवेदकगण

2-2042-I/2000

पेशी हेतु नियत तारीख 25/10/2000 को
आज दि0 ...

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

25 OCT 2000

// विरूद्ध //

1. लल्लू तनय फुलिया लोधी
2. गिरजादीन तनय फुलिया लोधी
3. पन्नी बाई पुत्री फुलिया लोधी पत्नि रंगीलाल लोधी
सभी निवासी तिलहड़ी, तह0 गुन्नौर, जिला- पन्ना
... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राज0 सं0 1959 .

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान सी. एल. अड़मे अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा दि0 अपील क्रं. 164 अ/6 सन 95-96 में पारित आदेश दि0 29.9.2000 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है :-

1. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन और व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के विपरीत अर्थ निकालने में त्रुटि करने के कारण निरस्तनीय है ।

2. यह कि अनावेदक क्रं.-3 पन्नीबाई किस प्रकार अपीलांट क्रं.3 द्वितीय अपील में बन गई और बना दी गई, यह रहस्यमय होने के साथ साथ त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रकरण में पक्षकार नहीं बन सकता और न बनाया जा सकता है ।

...2/पर